आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ।
1	2	3

न्यायालय समाहर्त्ता, पूर्णियाँ

ई0सी0 एक्ट वाद संख्या - 27/2018

28.08.2018

राज्य (प्रखंड आपूत्ति पदाधिकारी, बायसी)

....................-आवेदक

बनाम

1. गुलाम मुस्तफा, जन वितरण प्रणाली विक्रेता, ग्राम-चहट, पंचायत-मीनापुर, थाना-बायसी, जिला-पूर्णिया।
2. मलिक महताब उर्फ मंगला, पिता-गुलाम मुस्तफा, ग्राम-चहट, पंचायत-मीनापुर, थाना-बायसी, जिला-पूर्णिया।
3. जप्त अज्ञात टेम्पू सं0-BR11T-6106

..............................-विपक्षीगण

आ दे श

प्रस्तुत वाद बायसी थाना कांड सं0-05/2018 दिनांक 03.01.2018 अंतर्गत जप्त **Tempu No.-BR11T-6106** एवं उस पर लोड 06 क्विंटल अरवा चावल को आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत् राजसात करने हेतु प्रारम्भ है। राजसात का प्रस्ताव अनुमण्डल पदाधिकारी, बायसी के पत्रांक 259 दिनांक 19.01.2018 द्वारा प्राप्त है।

अभिलेख का अवलोकन किया। इस वाद में अंचल अधिकारी, गायसी के माध्यम से विपक्षीगण को नोटिस भेजा गया, जिसके आलोक में विपक्षी सं0-01 के द्वारा कारणपृच्छा समर्पित किया गया, जो अभिलेखबद्ध है।

इस वाद में अज्ञात टेम्पू को ग्रामीणों द्वारा पकड़ा गया था। घटना के समय टेम्पू मालिक/चाकल उपस्थित नहीं थे। जाँच अधिकारी द्वारा इसे सरकारी अनुदानित चावल बताया गया है। ग्रामीणों द्वारा यह भी बताया गया कि जप्त चावल विपक्षी सं0-01 जनवितरण प्रणाली की दुकान की है, जिसे विपक्षी सं0-02 के द्वारा कालाबाजारी में बेचने हेतु ले जाया जा रहा था।

विपक्षी सं0-01 द्वारा समर्पित कारण-पृच्छा का अवलोकन

किया। उनका कथन है कि जप्त खाद्यान्न उनके दुकान की नहीं है। उनका भण्डार एवं वितरण पंजी सही है। विपक्षी सं0-01 के द्वारा अपने दुकान से सम्बद्ध 10 उपभोक्ताओं से शपथ-पत्र प्राप्त कर उल्लेख किया गया है कि उपभोक्ताओं को उनके विरूद्ध कोई शिकायत नहीं है। विपक्षी सं0-01 के द्वारा इस वाद से मुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक, ई0सी0एक्ट पूर्णिया द्वारा सरकार का पक्ष रखते हुए अवगत कराया गया कि विपक्षी सं0-01 द्वारा जप्त अनाज एवं वाहन पर दावा नहीं किया गया है। नोटिस भेजने के बाद भी विपक्षी सं0-02 के द्वारा उपस्थिति नहीं दी गई, फलतः उन्हें कुछ नहीं कहना है। जप्त वाहन के मालिक द्वारा एक लम्बी अवधि बीत जाने पर भी अपने वाहन की खोज-बीन नहीं किया जाना, इस वाद में इनकी संलिप्तता प्रतीत होती है। तद्नुसार न्यायालय विचार कर सकती है।

विपक्षी सं0-01 से प्राप्त कारण-पृच्छा, विद्वान विशेष लोक अभियोजक का कथन एवं राजसात हेतु प्राप्त प्रस्ताव के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जप्त चावल एवं वाहन पर किन्हीं के द्वारा अपना दावा नहीं किया गया है। जप्त खाद्यान्न कालाबाजारी के उद्देश्य से ले जाया जा रहा था। ऐसी स्थिति में जप्त वाहन एवं खाद्यान्न का राजसात अपेक्षित है।

इस प्रकार विपक्षी का कृत्य बिहार सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2001 (यथा संशोधित 2011) का उल्लघंन है तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा-7 के अन्तर्गत दण्डनीय है।

अतः इस वाद अन्तर्गत जप्त **Tempu No.-BR11T-6106** एवं उस पर लोड 06 क्विंटल अरवा चावल को राजसात करने का आदेश दिया जाता है। आवश्यक वस्तु अधिनियम तथा तत्संबंधी प्रावधानों के तहत् अनुमंडल पदाधिकारी, बायसी अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित करेगें।

इसी के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

समाहर्त्ता,
पूर्णिया।

लेखापित एवं संशोधित

समाहर्त्ता,
पूर्णिया।